दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र

विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 60 ❑ अंक–9 ❑ दिल्ली ❑ फरवरी 2022 (प्रथम) ❑ मूल्य : 2 रु.

गुरु रविदास जी का बेगमपुरा लोकतांत्रिक राष्ट्र

• डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म आज से 645 वर्ष पूर्व पंडित, पांडे, ब्राह्मणों के गढ़ काशी (वाराणसी) में एक चर्मकार के घर माघ पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। इस विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है–

चौदह सौ तैंतीस की
माघ सुदी पंदरास।
दुनियों के कल्याण हित,
प्रगटे श्री रविदास।।

यह वह समय था जब समाज में छुआछूत, जात–पांत, भेदभाव, ऊंच–नीच, अंधविश्वास चरम सीमा पर था। शूद्र जाति के लोगों को तो जानवरों से भी नीचे मानकर ब्राह्मणवादी लोग उनके साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार और बर्बरता बरतते हुए उन्हें समता के सभी मानवीय अधिकारों से वंचित किया हुआ था।

भगवत भजन का एकाधिकार ब्राह्मणों का था, और ब्राह्मण को मनु व्यवस्था के अनुसार वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च मानकर सत्ता के शिखर पर बैठे राजा–महाराजा धर्मान्धता के कारण उन्हें पूरा सम्मान देते हुए उनके हर गलत कार्य को भी सही मानते हुए उन्हें पूरा सम्मान देते थे। समाज में अछूतों की तरह महिलाओं को भी बराबर सम्मान प्राप्त नहीं था। उन्हें भी पैरो की जूती मानते हुए उनके साथ खुला दुर्व्यवहार किया जाता था। पति की मृत्यु के साथ उसे भी सती होने के लिए बाध्य किया जाता था।

ऐसे मध्यकालीन भारत में संत शिरोमणि गुरु रविदास ने जन्म लेकर सामाजिक असंतुलन को संतुलित किया, अशांत हृदयों को अपनी वाणी से शांत किया, निराश मनों को आशा की नई किरण दिखाई, अंध विश्वास एवं भ्रमों का प्रमाणित तर्कों से पर्दाफांस किया। धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करके पूजा का नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऊंच–नीच की दीवारों को गिराकर सभी को एकता का पाठ पढ़ाया और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया।

गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणों के गढ़ काशी में वर्ण व्यवस्था का विरोध डंके की चोट करते हुए खुले शब्दों में कहा–

जात–पांत पूछे न कोई,
हरि को भेजे सो हरि का होई।

उन्होंने मन की शुद्धता पर जोर देते हुए कहा–

जिसका मन चंगा,
उसकी खटोटी में गंगा।

गुरु जी ने जात–पांत पर चोट करते हुए कहा–

जात–जात में जात है
ज्यों केलन में पात।
'रविदास' न मानुष जुड़ सकै,
जौ लौं जात न जात।।

उन्होंने मनुष्य के गुणों को महत्ता देते हुए कहा–

रविदास ब्राह्मण ना पूजिये,
जऊ होवे गुनहीन।
पूजिहि चरन चंडाल के,
जऊ होवै गुन परवीन।।

गुरु रविदास जी ने देवी–देवता, मूर्तिपूजा, पूजा–पाठ, धार्मिक आडम्बर का पर्दाफांस करते हुए कहा कि मन ही मंदिर है जहां से सच्ची सुख शांति प्राप्त हो सकती है–

मन ही पूजा, मन ही धूप।
मन ही सेवू सहज सरूप।।

गुरु रविदास जी ने परमात्मा प्राप्ति के लिए बाहरी कर्मकांडों व पूजा पाठों का खंडन करते हुए कहा कि सच्चे मन से प्रभु को समर्पित कर सच्ची पूजा कर सकते हैं–

जब हम होते तब तू नाही,
अब तूही मैं नाही।
जऊ हम बांधे मोह पास,
हम प्रेम बधनि तुम बांधे।।
अपने छुटन को जतनु करहु,
हम छुटे तुम आराधे।।

गुरु रविदास जी ने कट्टरपंथी पंडित–पांडे और मुल्ला मौलवियों पर भी सीधा प्रहार करते हुए कहा–

मंदिर से कोई घिन नहीं,
मस्जिद सो ना प्यार।
दोनों में राम–रहिम नहीं,
कह रविदास चमार।।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सम्पादकीय

दलितों की तकदीर का पैमाना है ये चुनाव

देश के पांच राज्यों की विधान सभाओं का चुनाव 10 फरवरी से 10 मार्च, 2022 के बीच होने हैं। ये राज्य हैं–उत्तर देश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। इन सभी प्रदेशों के चुनावों का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया जायेगा। अभी इन पांच राज्यों में से चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अकेले पंजाब राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ये चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की जोर अजमायश तो है ही, दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों की तकदीर का पैमाना भी है।

देश में 2014 के लोकसभा चुनाव जीत कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। उस समय चुनावों में भा.ज.पा. ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वह अगर सत्ता में आती है, तो सबसे पहले दो करोड़ बेरोजगार लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देगी, विदेशों से काला धन वापिस लायेगी और प्रत्येक मतदाता के बैंक खाते में 16-16 लाख रुपये जमा करायेगी, महंगाई, भ्रष्टाचार, दमन, उत्पीड़न, अन्याय और गुंडागर्दी खत्म करेगी। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय सभी को मुहैया करायेगी। किसान व मजदूर की आमदनी दुगुनी करेगी। महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा दी जायेगी। दलित, शोषित और अल्पसंख्यकों को पूरे सम्मान के साथ संवैधानिक प्रदत्त अधिकार मुहैया कराये जायेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव घोषणा पत्र पर विश्वास करके जनता ने उसे प्रचंड बहुमत से जिताया। इसके बाद भा.ज.पा. के नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पद सम्भालते ही, यह कहते हुए 'नोटबन्दी' कर दी कि इससे जमा काला धन बैंकों में वापिस आयेगा। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बातों पर विश्वास कर अपनी गाढ़ी कमाई की पूंजी जो पांच सौ व हजार रु. के नोट रूप में थी, बैंकों में जमा कराने के लिए बैंकों के बाहर लाईन लगाकर घंटों–घंटों भूख–प्यास सहते हुए खड़ा रह कर जमा कराई। पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र की इस कवायद के बावजूद न देश का काला धन वापिस आया और न ही इससे लोगों की आमदनी बढ़ी और न देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उल्टे शराब व्यापारी विजय माल्या और हीरे व्यापारी ललित मोदी अरबों रुपये बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भाग गये। सरकार के लाख आश्वासन देने के बावजूद उन्हें अभी तक पकड़ कर वापिस देश नहीं लाया जा सका।

नोटबन्दी से कल–कारखाने व उद्योगधन्धे धन की कमी के कारण चौपट हो गये। इसकी सारी मार गरीब, दलित, मजूदरों पर पड़ी। इसके बाद मोदी सरकार ने करों में समता लाने के नाम पर 'जी.एस.टी.' उपभोक्ता कर प्रणाली लागू कर दी। इससे छोटे–मोटे व्यापारी, दुकानदार, कल–कारखाने, उद्योगधन्धे चलाने वाले लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने कारोबार, उद्योगधन्धों पर ताले ही जड़ दिये। इससे उनमें काम करने वाले नौकर, देहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गये और उनके परिवार को भूखों मरने की नौबत आ गई।

मोदी सरकार के इस सुधारवादी कार्यों से न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न उद्योग–धन्धे आगे बढ़े, उल्टे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई पहले से कई गुना बढ़ गयी। भा. ज. पा. के चुनाव घोषणा पत्र में दिये वायदे एकदम उलट दिखाई दिये–न दो करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दिये गये, न विदेश गया काला धन आया, न देश से बैंकों से भारी कर्ज लेकर भागे विजया माल्या, ललित मोदी आदि

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य (शेष पृष्ठ 4 पर)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–
Who's who Dalit Writers in India	Dr. Sumanakshar	500/-
Who's Who–International & National Awardees of B.D.S.A.	Dr. Sumanakshar	500/-

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, मो. 9810278936, 9891989175

समाज को चाहिए संविधान की शिक्षा

● प्रो. श्यौराज सिंह 'बेचैन'
हिन्दी विभागाध्यक्ष,
दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय समाज में राजनैतिक विकास की गति और चिंतन में निरंतर विकास और बदलाव हुए हैं लेकिन सामाजिक सुधारों में उतनी सकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ रही है।

सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनैतिक लोकतंत्र भाईचारे में वृद्धि नहीं कर पा रहा। हाल ही में हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। स्वयं सेवी संस्थाओं ने अपनी–अपनी कॉलोनियों के ध्वजारोहण कार्यक्रम किए। जहां ऊंची जातियों के पदाधिकारियों के भाषण सुनने को मिलते हैं। वे बिना संविधान के लोकतंत्र का महत्व समझाते दिखते हैं और बिना अम्बेडकर के संविधान की बात करते दिखते हैं।

संविधान को कानून के विद्यार्थियों या कोर्ट कचहरी खास कर शासन–प्रशासन के क्रिया कलापों तक सीमित है और समाज में जो कानून लोगों के व्यवहारों को संचालित करता है वह है रीति–रिवाज, आस्थाएं या परंपराएं।

क्या गांव में संवैधानिक मूल्यों से किसी का वास्ता है? क्या कहीं स्कूलों के पाठ्यक्रम में संविधान का सार पढ़ाया जाता है? जबकि जरूरत राजनीतिशास्त्र या विधि–शास्त्र के अध्यताओं की ही नहीं जीवन शैली में सुधार की दृष्टि से हर विषय और हर अनुशासन को संवैधानिक शिक्षा का अनुशीलन करना अपेक्षित है, बल्कि अशिक्षित या अल्पशिक्षितों तक संविधान की शिक्षा दी जानी चाहिए।

मान लीजिए कोई कविता लिखता है और संविधान पढ़ता है। तो निश्चय ही उसकी कविता पर लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसके अभाव में देश के कई हिस्सों में जातियों के सामाजिक व्यवहार अलोकतांत्रिक, सामंती और असभ्य आकार का होता दिखाई पड़ रहा है, नमूने के तौर पर यदि हम अनुसूचित जातियों–जनजातियों के साथ घटित हो रहीं क्रूरतापूर्ण घटनाएं सामाजिक सुधारों को ठेंगा दिखा रही हैं। देश तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ठीक इसी समय समाचार आया कि राजस्थान के 'छड़ी' गांव के 27 वर्षीय श्रीराम मेघवाल दूल्हा की पहली बार घोड़ी पर चढ़ कर बारात निकली। खुशी थी कि चलो दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा पर प्रश्न आजादी के इतने दिनों के बाद सामाजिक व्यवहार में इतनी सी उपलब्धि? और मध्य–प्रदेश के गनियारी गांव में तो पहली बार दलित दूल्हा दिलीप अहिरवार घोड़ी पर चढ़ा तो लोध और ठाकुरों ने बारात पर हमला कर दिया। बारात को 'भीम–आर्मी' और पुलिस से संरक्षण मांगना पड़ा?

तीस जनवरी आते–आते समाज सुधार की खुशफहमी दुखद यथार्थ में तब्दील हो गई। जब राजस्थान चुरू के गांव रूखासर में दलित को पीटा और उसे कथित तौर पर पेशाब पिलाया गया। यहां राकेश मेघवाल को जाट समुदाय के आठ लोगों ने लाठी और रस्सी से इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। उसे पेशाब भी पिलाया और मृत समझ कर छोड़ा। मानवाधिकार आयोग ने घटना का संज्ञान लिया।

घटनाएं बताती हैं कि पुलिस या सेना के बल पर सामाजिक न्याय, दलित मानवाधिकार संरक्षण यदि दिया जाता है तो यह दैन संविधान की हुई कि आखिर समाज कैसा बना है? स्वराज आंदोलन के दौरान जितनी बातें राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने की हो रहीं थीं। समाज खुद–ब–खुद समता और बंधुता को अपना लेगा। ऐसी अपेक्षा महात्मा गांधी को भी थी। इसलिए वे कोई दण्ड विधान करना अनावश्यक समझते थे। मानते थे कि स्वतंत्र भारतीयों का नैतिक दर्जा इतना ऊंचा होगा कि वे स्वेच्छा से या एक दूसरे को हक और सम्मान देना अपना कर्तव्य समझेंगे।

डॉ. अम्बेडकर सामाजिक भेदभाव, जाति–क्रूरता और धार्मिक अनुदारता के भुक्त–भोगी थे। उन्हें ऐसी आशंकाएं थीं। इसलिए संविधान की निर्माण–प्रक्रिया में वे समता, बन्धुता और स्वतंत्रता के मूल्यों की बात कर रहे थे। विचारणीय बात यह है कि क्या समाज सभ्यता संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप विकसित हो रही है या सामाजिक प्रगति का पहिया दुर्गति की दलदल में धंस रहा है। ऐसा कैसे हुआ? क्या इसमें साहित्य, शिक्षा और संस्कृति की कोई भूमिका है? क्या हम सामाजिक दृष्टि से आदर्श लोकतंत्र में जी रहे हैं? 'श्री सुभाष कश्यप' की मानें तो–

"हमारे देश के गणतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सांविधानिक निरक्षरता है। संविधान के बारे में लोगों में शिक्षा और चेतना का अभाव है। मैं समझता हूं कि सांविधानिक शिक्षा देश में अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि लोग लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नागरिक कर्तव्यों के बारे में जान सकें।... अगर संविधान के बारे में पता नहीं है तो उसका पालन कैसे होगा? इसलिए चाहे कोई किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई करे, सबके लिए संविधान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।"

इसमें इतना और जोड़ लेना चाहिए कि हर स्तर की प्रशासनिक सेवा में, स्कूल कॉलेज की प्रवेश–परीक्षा में, टीचर्स, प्रोफेसर ट्रेनिंग में, नेट, स्लेट इत्यादि में सांविधानिक शिक्षा का एक प्रश्न पत्र पास करना अनिवार्य होना चाहिए। ग्राम सचिवों, प्रधानों को सरल शब्दों में सांविधानिक शिक्षा की परीक्षा पास करनी चाहिए, अन्यथा ग्रामीण समाज में सामंती अनुदारता कायम रहेगी।

ऐसा नहीं है कि कोई साहित्य कानून से परे रहा हो, जो वर्ण–धर्म

स्थापित करने वाले अलोकतांत्रिक मूल्य हैं वे परंपरा बन कर लेखकों विचारकों और उनकी मार्फत समाजों को सामंती मूल्यों से संचालित करते हैं। ऐसे में संविधान–संगत सृजन को बड़ी भूमिका निभानी होगी। सिच्युएशन के अनुसार व्यावसायिक फिल्मी गीतों की भांति दलितों पर लिखने के बजाय भुक्त–भोगी अनुभवों से सीख कर वैश्विक उन्नत सभ्यता की ओर दृष्टि ले जानी होगी।

महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनु.जाति/अनु.जन.जाति के सांसद, विधायकों की ओर से आयोजित पांचवें अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर कॉन्क्लेव के उद्घाटन पर कहा था ''संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक अ.जा एवं अ.ज. जा. के शैक्षिक, आर्थिक विकास के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इन वंचित तबकों को अपने अधिकारों की जानकारियां ही नही हैं।

संविधान लागू होने के साथ ही दलित जातियां मुतमईन होकर बैठ गई कि सरकार चाहे जिस दल की हो, शासन–प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व में अक्षत रहेगा। जबकि सामाजिक स्तर पर उनके साथ अन्याय होता ही रहा। नतीजा हर छह में पांच गरीब अ.जा./अ. ज.जा. में पाए गए। अक्टूबर 2021 में हनुमानगढ़ में दलित की पीट–पीट कर हत्या कर दी गई थी। मध्य–प्रदेश के ग्वालियर में दलित से विवाह कर लेने वाली युवती को उसी के परिजनों ने फांसी पर लटका दिया।

नवंबर में रीवा (म.प्र.) से ख़बर आई थी 'मजदूरी मांगी तो काटा हाथ'। यह घटना सिरमौर थानांतर्गत 'डोलमऊ' गांव में हुई। दलित श्रमिक अशोक साकेत (45) ने अपना पारिश्रमिक मांगा था। 'सांमती क्रूरता' मानते हुए समाचार पत्रों ने संपादकीय तक लिखे, परन्तु समाज की जातिगत अनुदारता में कमी आने का कोई लक्ष्य दिखाई नहीं दिया।

प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह सांविधानिक कानूनों का पालन करे, परन्तु उ॰प्र॰ पुलिस की भूमिका तो हाथरस की दलित युवती की हत्या व बलात्कार के केस में संदिग्ध रही, जहां परिवार की अनदेखी कर उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। दिसंबर में कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरू से ख़बर आई ''पेशाब पीने पर मजबूर करने वाला दरोगा निलंबित''/ कर्तव्य में लापरवाही और मामला दर्ज नहीं करने के आरोप में उप–निरीक्षक हरीश के.एन को विभागीय जांच के बाद निलंबित किया गया।

जयपुर के कोटपूतली कस्बे में दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति जताई। पुलिस की मौजूदगी में बारात पर पत्थर फेंके गए थे। समाज के उच्च–वर्णीय सामंती मूल्य और लोकतांत्रिक सांविधानिक मूल्य रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन में ताल–मेल कम दिखाते हैं, टकराते अधिक नजर आते हैं। वे साथ–साथ नहीं चलते आमने–सामने विरोधी सेनाओं की तरह आक्रामक मुद्रा में पेश आते हैं। यही कारण रहा, जो नवंबर 2021 में उच्चतम न्यायालय को कहना पड़ा कि ''जाति से प्रेरित हिंसा की घटनाओं से पता चलता है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी खत्म नहीं हुआ जातिवाद।''

इसी तरह के मामले गुलामी जैसी 'बंधुआ–मजदूरी' प्रथा वाले नए क्षेत्रों के हैं। जिसके लिए मानवाधिकार आयोग ने कहा है ''अभी तक बंधुआ श्रमिकों के मामलों में सरकारें ईंट–भट्टों तक ही अपनी कार्रवाई को सीमित रखती हैं।''

और अंत में भोजन माता के बहिष्कार की कहानी भी चर्चा में है। उत्तराखण्ड के चम्पावत जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को भोजन बनाने–खिलाने का काम करने वाली 'सुनीता देवी' को अछूत बताकर कथित ऊंची जाति के छात्रों ने खाना खाने से मना किया और शिक्षा अधिकारी आर.सी. पुरोहित ने सुनीता को नौकरी से बाहर कर दिया था।

प्रतिक्रिया स्वरूप दलित छात्रों ने सामूहिक रूप से कहा ''हमें हमारी वही 'भोजन माता' चाहिए। हम किसी गैर–दलित रसोइयों के हाथों का खाना नहीं खाएंगे।'' मीडिया में मुद्दा उछला उत्तराखण्ड सरकार के कान खड़े हुए। अनुच्छेद 17 याद आया। दिल्ली सरकार ने भी सुनीता देवी को नौकरी देने का ऑफर दिया। अ.जा./अ.जन.जा. आयोग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की। अंततः सब जातियों के छात्रों को एक साथ बिठा कर दलित महिला का बनाया भोजन कराया गया।

तमाम घटनाएं बताती हैं कि जो अस्पृश्यता संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 में समाप्त की, वह समाज को नहीं समझायी गई। स्कूलों के पाठ्यक्रम में समता स्वतंत्रता और बंधुता नहीं पढ़ाई गई। यही कारण है कि छात्रों में जाति अलगाव का भाव प्रकट होता है। हम सब समान भारतीय हैं। ऐसा प्रेम प्रसार नहीं किया गया। सांविधानिक शिक्षा के माध्यम से ही हम एक सभ्य राष्ट्र के रूप में संतुलित विकास और शान्ति प्रगति के सोपान चढ़ सकते हैं। •

राक्षस

कुछ लोग करते थे
अश्व मेघ यज्ञ
तुमने पुरुष मेघ यज्ञ किया
मुझे जलती आग में
उल्टा–उल्टा लटका दिया
जो हमारी खत्तिय, क्षत्रिय
संतानें बचीं
तुमने उनके घृणित नाम
दास, दस्यु, चण्डाल, निशाचर
दैत्य, राक्षस, दानव रख दिये
शूद्रों का इतिहास कहता है
दलितों का इतिहास कहता है
क्षत्रियों का इतिहास कहता है
दैत्य, निशाचर, राक्षस, दानव
नाम की इस देश में
कोई जाति नहीं थी। •

खत्तिय

तुम्हारा ऋग्वेद कहता है
दास, दस्यु, राक्षस, निशाचर
दानव, चण्डाल
सभी इस देश के मूल निवासी थे
इस देश के खत्तियों को
इस देश के किसानों को
तुमने इस देश के क्षत्रियों को
तुमने इस देश के कमकरों को
तुमने इस देश के मेहनतकशों को
तुमने इस देश के मूल निवासियों को
उनकी मूल निशान मिटाकर
तुमने दास, दस्यु, दैत्य
राक्षस, निशाचर, दलित, शूद्र
अछूत नाम रख दिये उनके।

– बैरिस्टर जी.सी.एल, बोधी

सम्पादकीय का शेष....दलितों की तकदीर का पैमाना है ये चुनाव

व्यापारी भगोड़ों को वापिस लाया जा सका। महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं–गैस सिलेंडर, पेट्रोल–डीजल पहले से चौगुने कीमत पर हैं। स्कूल की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय पाना अब सामान्य लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की सुरक्षा के नाम पर फिर से प्रचंड बहुमत पाकर दुबारा प्रधानमंत्री बने। चुनाव में किये गये वायदों के विषय में पूछने पर भा.ज.पा. नेताओं का कहना था कि यह तो चुनावी जुमले थे। चुनाव जीतने के लिए ऐसे लुभावने वायदे तो करने पड़ते हैं। इसके बाद चुनावी जुमले वाली इस सरकार के सामने 'कोरोना' सूक्ष्म विषाणु आ धमका। हमारे प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक रूप से इसके विषय में जाने बिना देश की जनता को धार्मिक अन्धविश्वास में धकेलकर पहले तालाबन्दी की और फिर 'कोरोना' को भगाने के लिए खूब ताली–थाली बजवाये और फिर मोमबत्ती, दिये जलवाये। जब वैज्ञानिक और चिकित्सकों ने कहा कि यह 'कोरोना' रोग झाड़–फूंक या ताली–थाली बजाने से नहीं, बल्कि मास्क लगाने, हाथ सेनेटाईज करने व दो गज की भौतिक दूरी रखने के साथ कोरोना रोधक टीका लगवाना ही इसका उपचार है। तभी सरकार चेती और उसने सख्ती से उपचारों पर अमल कराने और सभी का टीकाकरण कराना शुरू किया। पर लॉकडाउन (तालाबन्दी) से पहले जो कुछ उद्योगधन्धे, कल–कारखाने, बाजार, पर्यटन उद्योग, भवन निर्माण कार्य चल रहे थे, रेल–मोटर–यातायात पूरी तरह बंद करते ही, वे भी बंद हो गये। एकदम उनमें काम करने वाले मजदूर, टेक्नीशियन लाखों की संख्या में बेरोजगार हो गये। महीनों रोजगार न मिलने के कारण उन्हें सपरिवार भूखे मरने की जब नौबत आ गई तब अपने घर–गांव जाने के लिए कोई यातायात न मिल पाने पर पैदल– पैदल अपने बाल–बच्चों सहित अपने गांव को पलायन कर गये। उस समय उन्हें रोजी–रोटी व यातायात मुहैया कराने में सरकार ने चुप्पी साध ली। ऐसा भयानक संकट काल लाखों मजदूरों को भूख–प्यास को सहते हुए काटना पड़ा।

भा.ज.पा. के इस 7-8 साल के शासन में देश के लोगों को जिस त्रासदी से रूबरू होना पड़ा उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस बीच भा.ज.पा. सरकार किसानों के लिए तीन काले कानून अपने बहुमत से पास कराकर ले आई। देश के किसानों ने इसे अपने साथ भयानक षड्यंत्र मानकर जन– आन्दोलन शुरू किया जो लगभग एक साल तक दिल्ली के बार्डर पर धरने के रूप में चलता रहा। आखिर में, सरकार ने इसे अपनी गलती मानकर इन तीनों काले कानूनों को वापिस लेने की घोषणा की, पर तब तक इस किसान जन–आन्दोलन में 700 से अधिक किसान शहीद हो चुके थे। पर सरकार ने इन तीनों काले कानूनों को वापिस लेने की घोषणा तो संसद में कर दी, पर उन शहीद किसानों के प्रति थोड़ा सा भी शोक प्रगट नहीं किया जिन्होंने इन तीनों कानूनों के विरोध में अपनी जान दे दी।

भा.ज.पा. सरकार दोनों बार अपनी जुमलेवाले वायदों के भ्रम में फंसी जनता से प्रचंड बहुमत पाकर बौरा गई है। इस विषय में एक दोहा भी है–

कनक कनक से सौ गुनी
मादकता अधिकाय।
वा पाये बौराये है,
वा खाये बौराय।।

यानि कनक (सोना–सत्ता) कनक (भांग नशा) से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि उसे (सत्ता) पाकर तो आदमी तुरन्त बौरा जाता है जबकि उस कनक (भागे) को खाने पर ही नशा होता है।

इसलिए मोदी सरकार को धरती पर आकर नोटबन्दी, जी.एस.टी., कोरोना से त्रस्त जनता की बात सुननी चाहिए क्योंकि अब उनके झूठे–दिवास्वप्न जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारे के विषय में जान गये हैं।

देश के दलितों की समता, स्वतंत्रता, न्याय व भाईचारे पाने की आशा अब खत्म होने लगी है। महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय से वह बुरी तरह पीड़ित है। उसको बाबा साहब डा. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अन्तर्गत दिया आरक्षण का वैधानिक अधिकार आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में छिनता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने उन सभी संस्थानों को प्राइवेट कम्पनियों और उद्योगिक घरानों को बेचना शुरू कर दिया है जहां दलितों को आरक्षण के तहत नौकरी व रोजगार मिलने वाला था। आज दलितों का जीवन सुरक्षित नहीं है। उनकी बहू–माता–बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। गांवों में लठैत–जमींदार–साहूकारों का दबादबा है– थाना–कचेहरी में कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। न्यायालयों में न्याय बहुत महंगा हो गया है, स्कूल कालेज में पढ़ाई भी महंगी हो गई है। अस्पतालों में इलाज कराना भी महंगा हो गया है। ऐसे में सरकार से उसे जो आशा थी कि उसके उत्थान, कल्याण, विकास के लिए कुछ सहायता मुहैया करायेगी, अब धूल धुसरित होती नजर आ रही है। जिस भारतीय संविधान से उसे वह सब मिलने वाला था, वही अब खतरे में पड़ा नजर आने लगा है। इसलिए 'संविधान बचाओ' के नारे लगने शुरू हो गये हैं।

ऐसी विषम परिस्थिति में दलितों को सोचना है कि उन्हें अपने 'वोट' का इस्तेमाल कैसे और किसके पक्ष में करना है जिससे कि उसकी आशा और इच्दा के अनुकूल चुनाव में लोग जीत पायें और नई सरकार बनाये जो उन्हें समता, स्वतंत्रता, न्याय, सम्मान, सुरक्षा दे सके और शान व मान के साथ जीवन जीने की आस जगा सके। दलितों को सोचना होगा, कि जो लोग दलित, आदिवासी, मूलनिवासी, सम्बोधनों से डरकर हरिजन, दास–दस्यु–शूद्र, अछूत, राक्षस, बनवासी आदि नाम उन पर थोप कर उन्हें पुनः मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत रखना चाहते हैं, उनसे क्या कभी बराबरी, भागीदारी, हिस्सेदारी, न्याय पाने की आस की जा सकती है? इसलिए गांठ बांध लें कि यह युनाव उनकी तकदीर का पैमाना है जो आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि बनेगा।

– डा. सुमनाक्षर

पृष्ठ 1 का शेष...गुरु रविदास जी का बेगमपुरा लोकतांत्रिक राष्ट्र

गुरु जी ने धर्मांतरण पर सीधी चोट करते हुए कहा—

हरि सा हीरा छांडिके,
करे अन की आस।
ते नर दोजख जायेंगे,
सत भाखै रविदास।।

गुरु जी का कहना था कि बड़े पुण्य कर्मों के बाद यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। इसे व्यर्थ में विकारों में फंसाकर व्यर्थ गंवाने की जगह प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए—

दुलभ जनमु पुनः फल पाइओ,
बिरथा जात अविवेकै।
राजे इन्द्र समसरि ग्रिह आसन,
बिनु हरि भगति कहहु किह लेखै।।

गुरु रविदास जी ने अपनी सच्ची अटूट, विलक्षण भक्ति से ब्राह्मणों के गढ़ काशी (वाराणसी) में उन पंडों— पुजारियों को परास्त किया जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक भक्ति को ललकारा था। गुरु जी से परास्त होकर उन ब्राह्मणों को शर्त के अनुसार गुरु रविदास जी को डोली में बैठाकर अपने कंधों पर उठाकर सारी काशी नगरी में घुमाना पड़ा।

गुरु रविदास जी की भक्ति भाव से प्रभावित होकर कितने ही राजा—महाराजा और महारानियां उनकी शिष्य/शिष्या बन गये। इनमें चित्तौड़ की महारानी झालीबाई और उसकी पुत्र वधु महारानी मीराबाई प्रमुख हैं। गुरुजी ने इस तरह अपनी आत्मशक्ति और सच्ची भगवान भक्ति के आधार पर झोंपड़ियों की पगडंडियों को राजमहलों से जोड़ा। भगवान बुद्ध के बाद यह दूसरी सामाजिक क्रांति थी जिसने मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था को नकार कर मानव समता का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी भक्ति में रमी महारानी मीराबाई तो खुले रूप से गाती फिरती थीं—

मीरा ने गाविंद मिल्या जी,
गुरु मिल्या रैदास।।
रैदास संत मिले मोहिं सत्‌गुरु,
दीन्ही सुरत सहदानी।
मेरो मन लागो गुरु सों,
अब न रहूंगी अटकी।
गुरु मिलिया रैदास जी
दीन्ही ज्ञान की गुटकी।।

इसलिए आचार्य रजनीश अपनी पुस्तक **तुम्हीं पूजा, तुम्हीं धूप** में कहते हैं कि जो व्यक्ति एक महारानी के मन में बसता हो, वह कोई छोटा—मोटा व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विलक्षण महान व्यक्ति था, रैदास भारत के आकाश के ध्रुवतारा थे।

गुरु रविदास जी अपनी आध्यात्मिक शक्ति व भक्ति की सुगन्धि विश्व में छोड़ते हुए 151 वर्ष की लम्बी आयु में सवंत 1584 में चित्तौड़गढ़ में ब्रह्मलीन हुए, जहां महारानी मीराबाई के निमंत्रण पर वे वहां गये थे। उनकी स्मृति में वहां स्थापित छतरी उनके चरणों की छाप के साथ विराजमान है।

गुरु जी चहुंमुखी विद्या के धनी थे। उन्होंने अपने लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाते हुए कहा —

पराधीनता पाप है
जानु लेहू मेरे मीत।
रविदास दास पराधीन से,
कौन करे है प्रीत।।
पराधीन का दीन क्या,
पराधीन बेदीन।
रविदास दास पराधीन को,
सभी ही समझे हीन।।

गुरु जी ने कहा कि हमें मधुमखियों की तरह मिलकर रहना चाहिए और अपने साथ हो रहे अन्याय व शोषण का विरोध करते हुए अपने मानवीय एकता के अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा—

सत संगति मिली रहिये माधव,
जैसे मधुम मखीरा।

उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के बिना विवेक रूपी दीया मलीन हो जाता है, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है—

माधो अबदिया हितकीन विवेक दीप मलीन।

गुरु रविदास जी ने सच्चे लोकतांत्रिक राज्य की इन शब्दों में अपनी इच्छा की प्रगट की—

ऐसा चाहुं राज मैं,
जहां मिलै सभन को अन्न।
छोट बडे सब सम बसैं,
रविदास रहें प्रसन्न।।

गुरु जी ने 'स्वराज' को सर्वोत्तम बताते हुए कहा—

रविदास मानुष बसन कूं
सुखकर हैं दुई ठांव।
एक है 'स्वराज्य' में,
दूजा मरघट गांव।।

गुरु रविदास जी ने सच्चे समतावादी, मानवतावादी और सम्पन्नता व सुख शान्ति से भरपूर बेगमपुरा राष्ट्र की कल्पना अपनी प्रसिद्ध साखी बेगमपुरा शहर में की थी—

'बेगमपुरा शहर को नाऊ।
दुखु अंदोहु नहीं तिहि ठाउ।।
ना तसवीस खिराजु न मालु।
खउफु न खता न तरसु जमालु।।

इस बेगमपुरा शहर में न दुःख है, न चिंता, न कोई गम। यहां किसी को कोई डर—भय नहीं, क्योंकि यहां कोई किसी के आधीन नही। यहां सदैव सुख और कल्याण है। यहां न तो किसी प्रकार का माल खरीदना पड़ता और न ही कोई टैक्स देना पड़ता है, यहां न कोई घाटा हो जाने का डर है। यह सुन्दर शहर एक बादशाहत के आधीन सदैव आबाद रहता है और जलवायु के लिहाज से सर्वोत्तम है, यहां कहीं भी आने—जाने की कोई रूकावट नहीं है जो जहां चाहे सैर करता फिरता है। सब लोग यहां रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या से दूर भाईचारा व बराबरी के लिहाज से समान स्तर पर आनन्द के साथ रहते हैं।

गुरु रविदास जी के बेगमपुरा राष्ट्र की कल्पना को बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में समाजवादी, समतावादी—समता, स्वतंत्रता, भाईचारा पर आधारित सबको शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय, धर्म व आस्था में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार देकर पूरा किया है।

भारतीय संविधान गुरु रविदास जी के सपनों का दस्तावेज है जो देश के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार प्रदान करता है। गुरु जी की इस बेगमपुरा साखी के साथ उनके 40 पद महान पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दिये गये हैं जो उनकी महानता और महत्ता को दर्शाती है।

ऐसे महान बेगमपुरा राष्ट्र की कल्पना करने वाले, सर्वप्रथम 'स्वराज्य' की प्रेरणा देने वाले और अपनी आध्यात्मिक भक्ति की शक्ति से मन में ही सच्चे परमात्मा का मन्दिर स्थापित करने वाले गुरुओं के भी गुरु श्री रविदास महाराज की जयन्ती पर हार्दिक बधाई। •

हिमायती
7 / फरवरी (प्रथम), 2022 (कुल पृष्ठ 4)
प्रकाशन तिथि : 2 फरवरी, 2022

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020

काम न कल्याण, सिर्फ दौलत

• पी. चिदंबरम

जब से मैं समाजवाद के आदर्शवादी सपने से निकला हूं, मेरा मानना रहा है कि एक प्रगतिशील, खुशहाल और बहुलतावादी देश बनाने के लिए तीन प्रेरक शक्तियों की जरूरत होती है–रोजगार, कल्याण और संपत्ति। इनमें से कोई भी अन्य दो से कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

निश्चित रूप से संदर्भ अलग होंगे। पिछले तीस सालों में हमने नाटकीय रूप से विभिन्न आर्थिक परिदृश्य देखे हैं–1991 का आर्थिक संकट, 1997 में वैश्वीकरण, 2002–03 में सूखा, 2005–08 वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि, 2008 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट, 2012–13 (अमेरिकी बांड बाजार की हलचल), 2016–17 में नोटबंदी और सूखा ओर 2020–22 में महामारी और मंदी। हरेक संदर्भ के लिए भिन्न और बारीकी से समझी–बूझी गई प्रतिक्रिया की जरूरत होगी, खासतौर से तब जब बजट पेश किया जा रहा हो। लेकिन काम, कल्याण और संपत्ति को बढ़ावा देने वाले बुनियादी दर्शन को बदला नहीं जाना चाहिए।

आज के इंसान (होमो सेपियन) अब सिर्फ शिकारी और भोजन जुटाने वाले नहीं रह गए हैं। जैसे–जैसे उनकी इच्छाएं और जरूरतें बढ़ीं, उन्होंने कामकाज को संस्कृति शुरू की। आधुनिक युग में रोजगार जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। एक विकासशील देश में एक महत्वपूर्ण संकेतक पंद्रह साल और इससे ऊपर के लोगों की संख्या होती है, जो कार्यबल को प्रदर्शित करती है। कार्यबल में एलएफपीआर (कार्यबल भागीदारी दर) आबादी का वह अनुपात होता है, जो वर्तमान में कामकाजी है या रोजगार तलाश रही है। भारत में कार्यबल का मौजूदा आंकड़ा चौरानबे करोड़ है और एलएफपीआर साढ़े सैंतीस फीसद जो बावन करोड़ के बराबर है। (स्रोत–आर्थिक सर्वे, परिशिष्ट)

भारत जो युवाओं की आबादी वाला देश है और औसत आयु 28.43 साल है, जिस सबसे गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है, वह बेरोगारी है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता पाने की कोशिश में थे, तब इसे समझ रहे थे। लेकिन बाद के सालों में लगता है उनका दर्शन बदल गया। हर साल दो करोड़ रोजगार पैदा करने के उनके वायदे ने नौजवानों में जोश भर दिया था। बाद में उन्होंने कहा कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। पिछले सात सालों में बेरोजगारी बढ़ी है। महामारी और पूर्ण बंदी ने बेरोजगारी और बढ़ा दी। लाखों लोगों का रोजगार चला गया, जिसमें वेतनभोगी और अस्थायी कामगार दोनों हैं। स्वरोजगार जैसे दर्जी, बिजली मिस्त्री, प्लंबर आदि के कामधंधे चौपट हो गए। ऐसे कामों में लगे लोगों में से तो कई फिर से काम शुरू नहीं कर पाए हैं। शहरी बेरोजगारी की दर आठ फीसद और ग्रामीण की छह फीसद है। इसके अलावा जो लोग काम पर लौटे, उन्हें वेतन कटौती जैसे संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो सालों में चौरासी फीसद परिवारों को आय घट गई है। इस पृष्ठभूमि में बजट में अगले पांच साल में साठ लाख रोजगार पैदा करने का वादा किया गया है। जहां हर साल बारह लाख नए रोजगार पैदा होंगे, वहीं हर साल कार्यबल में शामिल होने वालों का आंकड़ा साढ़े सैंतालीस लाख का होगा (स्रोत : लेबर ब्यूरो)। मेरा निष्कर्ष–बेरोजगारी बढ़ेगी, खासतौर से कम पढ़े–लिखे तबके में।

कल्याण क्यों?

कल्याण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आजीविका, नौकरी, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा आराम और मनोरंजन आदि शामिल हैं। कल्याणकारी कदमों का मकसद इन चुनौतियों का रास्ता निकालना है। उदाहरण के लिए, मनरेगा का उद्देश्य आजीविका की समस्या को हल करना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून भुखमरी के संकट से निपटने के लिए है, मुफ्त सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य बीमा का मकसद स्वास्थ्य देखभाल की चुनौती का हल निकालना है, शिक्षा का अधिकार का उद्देश्य शिक्षा की चुनौती से जुड़ा है, आदि। बजट ने क्या किया? आवंटन पर जरा गौर करें–

सबसिडी/आवंटन	2021–22 (करोड़ रुपए)	2022–23 (करोड़ रुपए)
पेट्रोलियम	6,517	5,813
खाद	1,40,000	1,05,000
खाद्य	2,86,219	2,06,481
मिड–डे मील योजना	11,500	10,233
फसल बीमा	15,989	15,500
मनरेगा	98,000	73,300
स्वास्थ्य	85,915	86,606

कुल सबसिडी बिल में सत्ताईस फीसद तक की भारी कटौती कर दी गई है।

बजट का संदेश यही है कि बेहद गरीब तबके को कोई नगदी हस्तांतरण या मुफ्त राशन नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कोई वृद्धि

भारतीय दलित साहित्य अकादमी का अद्वितीय ग्रन्थ आज ही मंगायें

Book of Record–Who's Who International and National Awardees of Bharatiya Dalit Sahitya Akademi

300 पृष्ठों का यह अकादमी का ऐतिहासिक, अद्वितीय, अनूठा ग्रन्थ है जिसमें अकादमी के गत 36 सालों में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय नेशनल अवार्डियों का वर्षवार विवरण दिया गया है। इस ग्रन्थ का कान्टेंट (सन्दर्भ) भी A to Z–क्रमानुसार दिया गया है जहां कोई भी नेशनल या इन्टरनेशनल अवार्डी अपना नाम देखकर तुरन्त क्रमवार जान सकता है कि उसे सम्मेलन में किस वर्ष में कब, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अकादमी का वह सम्मेलन कब, कहां आयोजित हुआ और उस सम्मेलन में किस मुख्य अतिथि द्वारा उसे 'अवार्ड' देकर सम्मानित किया गया।

इस ऐतिहासिक ग्रन्थ में प्रत्येक अवार्डी का उसे अलग–अलग अवार्डों से सम्मानित होने का भी वर्षवार विवरण है साथ ही उन्हें एक, दो, तीन, चार 'स्टार' प्रदान कर उनके सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यों के योगदान को दर्शाया गया है।

इस ऐतिहासिक, अद्वितीय, अनोखे ग्रन्थ के मुख पृष्ठ पर उन सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री व समाजसेवियों के चित्र दिये गये हैं जिन्होंने गत 36 वर्षों में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के साथ–साथ सम्मेलन में प्रतिभागी प्रतिनिधियों को अपने उद्बोधन से राष्ट्र सेवा में अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया और उन्हें 'अवार्ड' से सम्मानित कर उनके रचनात्मक कार्यों व योगदान की सराहना की।

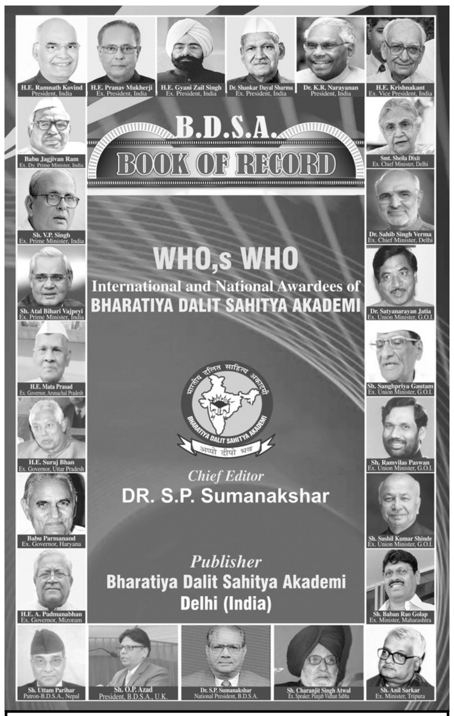

- **Total References of Personalities- about 2500**
- **Page : 300**
- **Price : Rs. 500/- Send by M.O./D.D.**

अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित इस अद्वितीय ग्रन्थ में ढाई हजार के लगभग महानुभावों का विवरण दर्ज है जिनमें अवार्डियों के अलावा सम्मेलन के मुख्य अतिथि और अकादमी के संरक्षक, मार्गदर्शक और सहयोगी शामिल हैं।

दलित साहित्य पर शोधकर्त्ताओं, साहित्यकारों, समाजसेवियों के लिए यह ग्रन्थ अमूल्य है, पठनीय है और सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में संग्रहणीय है। बाबा साहब डा. अम्बेडकर को समर्पित इस अनमोल ग्रन्थ का मूल्य 500 रुपये है जिसे आर्डर देकर अकादमी कार्यालय से मंगाया जा सकता है।

इस ग्रन्थ के सम्पादक, संरक्षक, प्रकाशक अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर हैं जिनके कई वर्षों के परिश्रम के बाद इस ग्रन्थ का प्रकाशन हो सका। ग्रन्थ मंगाने के लिए सम्पर्क करें–

भारतीय दलित साहित्य अकादमी
बी–3/9, दूसरी मंजिल,
माडल टाउन–I, दिल्ली–110009
मोबाइल :
9891989175, 9810278936

नहीं, बच्चों में कुपोषण या बौनेपन जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए कुछ नहीं, पिछले दो सालों में स्कूली बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कुछ नहीं, मध्यवर्ग को कोई कर राहत नहीं और उपभोक्ताओं को कोई जीएसटी राहत नहीं। मेरा निष्कर्ष है–कल्याण की बात को तो हवा में उड़ा दिया गया है।

संपत्ति क्यों?

मैं संपत्ति सृजन का समर्थक हूं संपत्ति नई पूंजी और फिर नए निवेश का स्रोत होती है। करों के बाद आय बढ़ने से संपत्ति बढ़ेगी। आय और संपत्ति दोनों ही निवेश बढ़ाने, जोखिम लेने, कुछ नया करने, शोध एवं विकास, दान और अन्य इस्तेमाल को बढ़ाने वाले होते हैं। मेरा विरोध संपत्ति सृजन को लेकर नहीं है, बल्कि संपत्ति के संग्रह को लेकर है, जिसकी वजह से समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। कुछ अध्ययनों के अनुसार, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां असमानता सबसे ज्यादा है। एक ऐसा बजट जो पूंजी आधारित निवेश, उन्नत विज्ञान और तकनीक, पूंजी को बाहर करने के लिए डिजिटलीकरण और परिष्कृत पारिस्थिकी, प्रौद्योगिकी और श्रम को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, वह उन करोड़ों गरीबों के साथ मजाक है जिनको अपनी आजीविका के लिए रोजगार की जरूरत है। अगर गरीबों की मदद के लिए और संसाधनों की जरूरत है तो उसके लिए सही रास्ता अमीरों की संपत्ति से संसाधन जुटाना होगा। भारत में एक सौ बयालीस लोग बेहद अमीर हैं, जिनकी संपत्ति तिरपन लाख करोड़ रुपए है, जिसका इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाने में हो सकता है। मेरा निष्कर्ष है–यह पूंजीवादी बजट है, जिसमें गरीबों की अनदेखी कर दी गई है।

मीडिया और संसद में चल रही बहस ने खास तबके और वंचित तबके के बीच चौड़ी होती खाई को सामने ला दिया है। पूंजी बाजार इस बजट को सलाम कर सकता है, लेकिन गरीब और मध्यवर्ग बजट बनाने वालों को माफ नहीं करेगा।

(साभार : जनसत्ता)

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009